5रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA

(84)

III/निगरानी/सीहोर/भू-रा/2017/2188

समक्ष माननीय सदस्य म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र.निगरानी – / /2017 सिहोर

1. बाबूलाल आ0 श्री शंकरलाल
2. मदनलाल आ0 श्री शंकरलाल
3. रमेश चन्द आ0 श्री बशीलाल
4. अखिलेश आ0 श्री देववक्ष

निवासीगण ग्राम पगरिया हाट तहसील आष्ठा
जिला सिहोर म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1. नत्थू सिहं राजपूत राजस्व निरीक्षक ~~राजस्व~~ मण्डल क0– 3 तहसील आष्ठा जिला सिहोर
2. खलील मंसूरी आ0 बुलाकी खां

निवासी ग्राम पगारिया हाट तहसील आष्ठा
जिला सिहोर म0प्र0 .....अनावेदकगण

आज दिनांक 1/7/17 को श्री प्रेमसिंह ठाकुर अधि. भोपाल द्वारा पेश किया। 1/7/17 रीडर

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान नायब तहसीलदार तहसील आष्ठा जिला सिहोर द्वारा उनके प्रकरण क्र. 10/अ–12/16–17 में किये गये विवादित सीमांकन में पारित आदेश दिनांक 14/06/17 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पगारिया हाट तहसील आष्ठा जिला सिहोर स्थित भूमि खसरा क0 39/3 राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण के नाम दर्ज है । आवेदकगण कि भूमि लगी हुई अनावेदक क0 2 के स्वामित्व कि खसरा क0 39/4 एवं खसरा क0 की भूमि है । अनावेदक क0 2 ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया कि वह अपने स्वामित्व के खसरा 39/4 का सीमांकन अनावेदक क0 1 से करवाना चाहता हूॅ । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने अनावेदक क0 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्र.क्र. 10/अ–12/16–17 पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन आदेश जारी करने के आदेश दिये । अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश पालन में अनावेदक क0 1 द्वारा आवेदकगण व अन्य मेढ़ पड़ोसी को सूचना पत्र जारी किए बिना ही अवैधानिक तरीके से अनावेदक क0 2 से सांठगांठ कर सीमांकन किया गया है। उक्त सीमांकन की जानकारी आवेदकगण को उस समय हुई जब अनावेदक क0 2 द्वारा आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि पर बनी टपरिया व

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ·III/निगरानी/सीहोर/भू-रा./2017/2188 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील आष्टा जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-06-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील आष्टा जिला सीहोर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है । कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 22-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	